भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1183
02.03.2020 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का क्रियान्वयन

1183. श्री संजय सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कार्यक्रम का कड़ाई से कार्यान्वयन कैसे सुनिश्चित करेगी क्योंकि लक्ष्य किसी प्राधिकरण या प्रदूषक के लिए बाध्यकारी नहीं है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) केंद्र सरकार ने सान्द्रणों की तुलना हेतु वर्ष 2017 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2024 तक PM_{10} और $PM_{2.5}$ सान्द्रणों को 20% से 30% तक कम करने के लक्ष्य से एक दीर्घ कालिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरु किया है।

मानकों को पूरा न करने वाले सभी शहरों में बुनियादी कार्यान्वयन हेतु शहर विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। एनसीएपी के समग्र मार्गदर्शन, नीति प्रतिपादन और कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय और राज्य स्तर पर संचालन, निगरानी और कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। सीपीसीबी, इन शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं के प्रतिपादन, कार्यान्वयन और निगरानी में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है।

*****